

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 33/2019 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. - 2019/00044

उनवान

1- ममताबाई पुत्री रामगोपाल पत्नि रामनिवास जाति मेधवाल निवासी ग्राम बोरदा हाल
निवासी पुलिस लाईन कोटा, जिला कोटा।

(अपीलान्ट)

बनाम

- 1- राकेश कुमार पुत्र रामगोपाल जाति मेधवाल निवासी कुन्दनपुर रोड सांगोद
- 2- प्रमोद कुमार पुत्र रामगोपाल जाति मेधवाल निवासी कुन्दनपुर रोड सांगोद
- 3- रामावतार पुत्र रामगोपाल जाति मेधवाल निवासी कुन्दनपुर रोड सांगोद
- 4- गायत्री खींची पत्नि मुकेश खींची जाति खटीक निवासी सांगोद, जिला कोटा
- 5- बृजेश बसवाल पुत्र सत्यनारायण बसवाल जाति खटीक निवासी मकान नं. 1 एम 35
महावीर नगर विस्तार विस्तार योजना कोटा
- 6- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद।

(रेस्पोंडेण्ट)

- उपस्थित :-
1. श्री जितेन्द्र चौरसिया (अभिभाषक अपीलान्ट)
 2. श्री रामरतन मीना व श्री रविन्द्र खण्डेलवाल (अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट)

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार दीगोद आदेश

दिनांक 27.06.2019 नामान्तरण संख्या 1338 अ0धा0 75 भू0राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक:- 16/10/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट की माता श्रीमती बसन्तीबाई के खाते माल ग्राम सांगोद में खसरा नं. 329 की 2.72 है0 आराजी स्थित है तथा अपीलान्ट की माताजी का स्वर्गवास हो चुका है, तथा उक्त आराजी में अपीलान्ट व रेस्पोंडेण्ट क्रम

अति. जिला कलेक्टर
कोटा

2 प्रमोद कुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र मृतक खातेदार बसन्तीबाई के खाते दर्ज ग्राम सांगोद की आराजी का मुताबिक वसीयत नामान्तकरण दर्ज करने हेतु पेश किया,। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 1127 दिनांक 22.3.2017 के विरुद्ध प्रार्थीया द्वारा न्यायालय अति०संभागीय आयुक्त कोटा में प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2018 को उक्त अपील में निर्णय पारित कर अधीलस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2019 को निर्णय पारित किया गया अपीलान्त द्वारा पुनः न्यायालय अति०संभागीय आयुक्त कोटा में अपील प्रस्तुत की गई। दौराने अपील रेस्पोंडेंट क्रम 1 द्वारा अपने 1/3 हिस्से को रेस्पोंडेंट क्रम 4 को विक्रय कर दिया तथा रेस्पोंडेंट क्रम 4 ने रेस्पोंडेंट क्रम 5 को विक्रय कर तथा विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 27.6.2019 को इंतकाल नं. 1338 तस्दीक किया गया। जिसकी अप्रसन्ता से अपीलान्त ने अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील पेश होने के बाद भी रेस्पोंडेंट क्रम 4 ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया जबकि उक्त कृषि भूमि के संबध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है तथा किसी भी न्यायालय ने उक्त भूमि के संबध में अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। उक्त विक्रय धारा 42 ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानों का उलंघन है क्योंकि धारा 52 के दौरान कोई भी ट्रान्सफर शून्य है।

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्वयं के निर्णय की जानकारी होने पर भी दौराने अपील उक्त कृषि भूमि के संबध में विक्रय पत्र के आधार इंतकाल सं. 1338 खोलकर कर कानूनी त्रुटि की है जो सर्वथा अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि उक्त निर्णय करने में अधीनस्थ न्यायालय संक्षम नहीं था क्योंकि किसी भी वसीयत की सत्यता की जाँच केवल मात्र सिविल कोर्ट द्वारा ही करवाई जा सकती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय स्वयं के द्वारा उक्त वसीयत की ट्रायल की जाकर उक्त वसीयत को रेस्पोंडेंट के पक्ष में साबित होना मानकर उक्त वसीयत को रेस्पोंडेंट के पक्ष में साबित होना मानकर उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल खोले जाने का निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त वसीयत अनरजिस्टर्ड थी, तथा उक्त वसीयत पर जिन गवाहान के द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे उक्त गवाहान को परीक्षित किये बिना केवल मात्र शपथ पत्र के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है जो पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इंतकाल संख्या 1338 दिनांक 27.06.2019 की जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 22.07.2019 को विवादित जमाबंदी की नकल निकलवाने पर प्रथम बार जानकारी हुई, इस प्रकार दिनांक 27.06.2019 से 24.7.2019 तक की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंट क्रम 3 के नाम खोला


ऑ. जिला कलक्टर
कोटा

गया नामान्तरण सं. 1338 निरस्त किया जाकर उक्त आराजी ख.न. 329 की 2.72 है0 ग्राम सांगोद जिला कोटा का इंतकाल अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट क्रम 1,2,3, के नाम संयुक्त रूप से समभाग पर खोले जाने बाबत आदेश पारित करे।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोजेन्ट क्रम 4 की ओर से अभिभाषक श्री रामचरण मीना एवं रेस्पोजेन्ट क्रम 5 की ओर से श्री रविन्द्र खण्डेलवाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। शेष रेस्पोजेन्ट अनुपस्थित रहे।

पत्रावली मे बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेसन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 21.08.2019 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर होना अंकित किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेसन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोजेन्ट क्रम 3 के नाम खोला गया नामान्तरण सं. 1338 निरस्त किया जाकर उक्त आराजी ख.न. 329 की 2.72 है0 ग्राम सांगोद जिला कोटा का इंतकाल अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट क्रम 1,2,3, के नाम संयुक्त रूप से समभाग पर खोले जाने बाबत आदेश पारित करे।

वकील रेपोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 1338 वसीयत के आधार पर जर्जे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया है। वसीयत पर सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अतः उक्त अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

वकील पक्षकारान् की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 1338 दिनांक 27.06.2019 जर्जे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। अपीलान्ट को संबधित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विरुद्ध संक्षम न्यायालय में वाद दायर राहत प्राप्त की जानी चाहिए।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलाट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा
अति. जिला कलेक्टर
कोटा